तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 26/7/22 को पेश हो।	
26/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। वादीगण अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता को कोई समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उनवान प्रकरण में हक न्यायालय द्वारा जारी नैतिक निर्देशात्मक दिनांक- 18/6/21 निरस्त की जाकर उक्त उनवान प्रकरण वादीगण व वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:35 IST
Reason: SelfAttested

सेवामे,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
गुडामालानी जिला बाडमेर

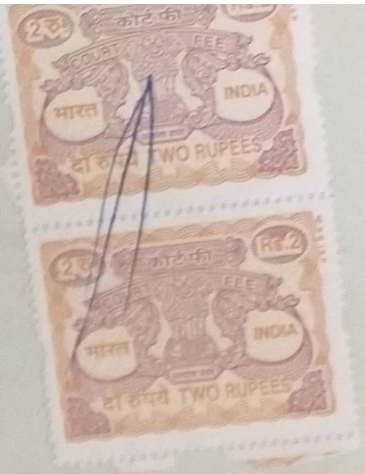

प्रार्थीगण :–

1. सोनाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 35 वर्ष
2. पूरोंदेवी पत्नि डूंगराराम उम्र 62 वर्ष
   जाति जाट निवासी मालपुरा
   तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. दौलाराम पुत्र डूंगरराम उम्र 40 वर्ष
2. केसाराम पुत्र हेमाराम उम्र 60 वर्ष
3. उदाराम पुत्र हेमाराम 58 वर्ष
4. कालूराम पुत्र तुलसाराम उम्र 73 वर्ष
5. चैनाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 32 वर्ष
6. लिखमाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 25 वर्ष
7. मीरोंदेवी पत्नि गोरधनराम उम्र 50 वर्ष
8. सकूदेवी पत्नि रूपाराम उम्र 50 वर्ष
   जाति जाट निवासी मालपुरा तहसील गुडामालानी
   जिला बाडमेर
9. श्रीमान तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाडमेर

Court Report to Reader
Presented by Sd. pallakar
on out. 19/8/21

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदयजी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत है कि :–

1. कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान के समक्ष पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है।

2. कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत मौजा मालपुरा पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 274 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 96.16 बीघा व खसरा नम्बर 351 रकबा 110.15 बीघा के आये हुऐ है। वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है।

3. कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी, जिस पर वक्त सेन्टलमेंट प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा उनके नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा उनके फौत होने पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। तब से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है।

4- कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा तथा शेष हिस्सा विप्रार्थी संख्या 1 से 8 के खातेदारी अधिकारों के है व इसी हिस्सों के माफिक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है।

5- कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 8 के बीच में हिस्से पूर्ण [illegible] के कारण खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता [illegible] मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के [illegible] भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है वं पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है, तथा सामलाती भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:35 IST
Reason: SelfAttested